भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4225
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व

4225. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लगभग 1100 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के पुनः उपयोग को मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो उन बैंडों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपरोक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा;

(ग) उक्त स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को कितना राजस्व मिलने की उम्मीद है;

(घ) उक्त स्पेक्ट्रम की नीलामी कब तक की जाएगी;

(ङ) क्या उक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग 5जी और 6जी सेवाओं के लिए किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या संचार विभाग ने अभी तक 6 गीगाहट्र्ज बैंड पर कोई निर्णय नहीं लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) सरकार ने मोबाइल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड अर्थात् 6425-6725 मेगाहट्र्ज, 6725-7025 मेगाहट्र्ज, 2500-2690 मेगाहट्र्ज और 1427-1518 मेगाहट्र्ज में कुल 687 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को पुनः उपयोग में लाने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) हितधारकों से परामर्श करने और अर्थमितीय मॉडलों का उपयोग करके प्रासंगिक कारकों का विश्लेषण करने के बाद स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य और अन्य निबंधनों और शर्तों की सिफारिश करता है। फिर, लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में विभिन्न बैंडों के लिए निर्धारित इन आरक्षित मूल्यों को नीलामी से पहले सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जो आम तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाती है। नीलामी से सृजित राजस्व न केवल आरक्षित मूल्यों पर निर्भर करता है अपितु बाजार की भागीदारी के स्तर पर भी निर्भर करता है, जो स्पेक्ट्रम की मांग से संचालित होता है।

(ङ) नीलामी के माध्यम से टीएसपी द्वारा अधिग्रहित ऐसे स्पेक्ट्रम का उपयोग 5जी/6जी सहित किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मोबाइल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

(च) सरकार ने मोबाइल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के एक हिस्से अर्थात् 6425-6725 मेगाहर्ट्ज और 6725-7025 मेगाहर्ट्ज को पुनः उपयोग में लाने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

*****